



## JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

Corporate Identity Number (CIN) –U40109RJ2000SGC016483

Regd. Office: New Power House, Jodhpur- 342003

Phone No: 0291-2746255

E-mail: seppmju@gmail.com Web site: www.jdvvn.com

क्रमांक : जोडि/अ.मु.अ. (मुख्यालय)/अधी.अभि.(पीपीएम) /अधि. अभि. (एसएण्डआई)/ फा. कृषि/प्रे० 4141 दिनांक 30.06.17

### आदेश

**विषय :-** दिनांक 01.01.2010 एवं इसके बाद कृषि कनेक्शन पत्रावलियों के मांग पत्र की राशि जमा न कराने के कारण निरस्त होने पर एक और अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में।

निगम से जारी आदेश आर.ई.ओ-225 दिनांक 20.02.2017 में आंशिक संशोधन करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2010 एवं इसके बाद जिन कृषि कनेक्शन पत्रावलियों के मांग पत्र जमा नही करवाने के कारण निरस्त हो गई है। उन निरस्त कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुनर्जिवित करने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं।

- i. आवेदक जिनकी कृषि कनेक्शन पत्रावलियां मांग पत्र की राशि जमा न करवाने के कारण निरस्त हो गई है उन्हें निगम द्वारा पुनर्जिवित करने के लिए रु. 500/- जमा कराने हेतु दिनांक 01.03.2017 से 30.04.2017 तक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा।
- ii. मांग पत्र की राशि 01.05.2017 से 30.06.2017 तक जमा करानी होगी अन्यथा पत्रावली बिना किसी सूचना के रद्द मानी जावेगी।
- iii. इन पुनर्जिवित कृषि कनेक्शन पत्रावलियों की प्राथमिकता मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से निर्धारित की जावेगी।

जिन प्रकरणों में कृषि कनेक्शन आवेदको द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवादी गई थी परन्तु मांग पत्र जमा करवाने के पश्चात कृषि कनेक्शन पत्रावली एल फार्म जमा नही करवाने अथवा अन्य किसी कारण से निरस्त कर दी गई तथा जिनकी राशि अभी तक सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमों में जमा है उन आवेदको की कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुनर्जिवित करने का एक ओर अवसर दिनांक 30.06.2017 तक दिया जाता है।


आज्ञा से

*(Handwritten Signature)*  
(एम.आर. मीणा)

अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान् अध्यक्ष,डिस्कामस, जयपुर।
2. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक (वित्त/तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. संभागीय मुख्य अभियंता (जोधपुर./बीकानेर/बाड़मेर जोन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर को पालनार्थ।
5. मुख्य अभियंता (एमएमएण्डसी/एमएम/आरजीजीवीवाई/मुख्यालय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (एएण्डआर/बीएण्डआर/डब्ल्यूएण्डएम) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/53,सत्यविहार कालोनी, लाल कोठी, जैन ईएनटी हास्पिटल के पास, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर।
7. सचिव (प्रशासन) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
8. प्रावैधिक सहायक, माननीय प्रबंधक निदेशक महोदय, जोधपुर/जयपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर/अजमेर।
9. अधीक्षण अभियंता (नगर वृत/जिला वृत/परि. एवं संधा./सतर्कता/टी.डब्ल्यू./वाणिज्य/एमएमसी/एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/सिरोही/जालोर/जैसलमेर/बाड़मेर/चुरु/बीकानेर/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर को पालनार्थ।
10. अधीक्षण अभियंता (आई.टी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये।
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)/उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
12. निजी सचिव, मा.ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
13. निजी सचिव, सलाहकार (एम) राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. निजी सहायक, अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को माननीय अध्यक्ष के सूचनार्थ।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवंसंधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
16. सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय, जयपुर।
17. कंपनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
18. जनसंपर्क अधिकारी जोविनिनि, जोधपुर।

  
अति.मुख्य अभियंता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर